कावेरी–वैगई–गुंडार लिंक: जल-संघवाद और सुप्रीम कोर्ट में विवाद

प्रकाशन: 25 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 23–24 नवंबर 2026 की रिपोर्टें; पृष्ठभूमि: NWDA DPR

प्रिलिम्स: अंतरराज्यीय नदियाँ और नदी-जोड़ परियोजनाएँ; मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II/III, संघवाद, जल संसाधन और पर्यावरण



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

नवंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक ने कावेरी (कट्टलाई)–साउथ वेल्लार–वैगई–गुंडार लिंक और संबंधित कार्यों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम निषेधाज्ञा माँगी है। यह राज्य का अनुरोध है, परियोजना पर अंतिम न्यायिक रोक लगने का प्रमाण नहीं। ताजा आवेदन और कथित निर्माण-संबंधी दावों का यहाँ आधार सार्वजनिक समाचार-रिपोर्टें हैं; हस्ताक्षरित नया आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है। [2][3]

दो अलग जल-स्रोत धारणाएँ

NWDA के DPR का अंतरराज्यीय पहलू अध्याय इस लिंक को व्यापक नदी-जोड़ व्यवस्था का हिस्सा बताता है। उसमें मौजूदा कट्टलाई बैराज से लिंक नहर में मोड़ा जाने वाला जल ऊपरी लिंक नहरों से लाए गए महानदी और गोदावरी के अधिशेष जल तथा हिमालयी घटक के जल से उपलब्ध कराने की अवधारणा है। इस प्रस्तावित स्रोत-शृंखला को कावेरी के मौजूदा हिस्सों से अलग पहचानना चाहिए। यह दस्तावेज वर्तमान राज्य परियोजना के प्रत्येक निर्माण या स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। [1]

विवाद का केंद्र

रिपोर्टों में कर्नाटक की आपत्ति तमिलनाडु द्वारा अधिशेष कावेरी जल के एकतरफा उपयोग और संबंधित कार्यों पर है। दूसरी ओर, पुराने DPR की व्यापक अंतर-बेसिन हस्तांतरण अवधारणा जल की अलग स्रोत-शृंखला पर टिकी है। परीक्षा में दोनों को एक ही निर्विवाद तथ्य

न बनाएँ। स्रोत, उपलब्धता, निर्भरता-मानक और परियोजना का सटीक चरण पहचाने बिना “अधिशेष जल” शब्द अधूरा है। आरोप और निष्कर्ष के बीच न्यायिक परीक्षण बाकी रहता है। [1][2]

सहमति, स्वीकृति और निर्माण

NWDA अध्याय संबंधित तटवर्ती राज्यों की सहमति तथा लाभ, लागत और जल-बँटवारे के अंतरराज्यीय प्रश्नों को साथ देखने की जरूरत बताता है। तकनीकी परियोजना-रिपोर्ट, सैद्धांतिक स्वीकृति, वित्तपोषण, पर्यावरणीय शर्तें और निर्माण एक ही चरण नहीं हैं। किसी DPR में योजना का वर्णन मिलना उसके सभी वर्तमान अनुमोदनों की पुष्टि नहीं करता। ताजा आवेदन पर समाचार में कही बात को सरकार की स्वीकृति या अदालत का अंतिम फैसला न मानें। [1][2]

संघवाद का व्यावहारिक प्रश्न

विश्लेषण: ऊपरी और निचले राज्यों की जरूरतों को केवल राज्य-सीमा के भीतर की परियोजना कहकर अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही हर स्थानीय नहर को बिना परियोजना-दस्तावेज देखे अंतरराज्यीय जल का नया आवंटन कहना भी गलत होगा। साझा जल-लेखा, उपयोग का मापन, सूखे में प्राथमिकताएँ और स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन भरोसा बढ़ा सकते हैं। न्यायिक निपटारा वैधानिक दावों की जाँच करता है; नियमित डेटा-साझाकरण और अंतर-सरकारी संवाद उसका विकल्प नहीं, पूरक हैं।

आगे की राह

योजना के चरण, जल का वास्तविक स्रोत और अनुमोदनों की स्थिति सार्वजनिक दस्तावेजों में स्पष्ट हों। प्रभावित राज्यों के बीच तुलनीय जल-लेखा और समयबद्ध आपत्ति-निवारण हो। पर्यावरणीय प्रवाह, भूमि-अधिग्रहण और प्रभावित समुदायों की जरूरतें अलग से जाँची जाएँ। लक्ष्य केवल पानी मोड़ना नहीं, विधिसम्मत और टिकाऊ उपयोग होना चाहिए। पुराने DPR के आँकड़ों को नवंबर 2026 की वर्तमान स्थिति बताकर प्रस्तुत करने से बचें।

pcsmantra.com

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: निषेधाज्ञा के लिए आवेदन दाखिल होना और अदालत द्वारा निषेधाज्ञा देना अलग चरण हैं।

कथन 2: किसी पुराने DPR का अस्तित्व वर्तमान निर्माण की सभी स्वीकृतियों का प्रमाण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: अवधारणा और वर्तमान अनुमोदन की स्थिति अलग दस्तावेजों से सत्यापित करनी चाहिए।

pcsmantra.com

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

नदी-जोड़ परियोजनाओं में तकनीकी व्यवहार्यता के साथ अंतरराज्यीय विश्वास और विधिक प्रक्रिया क्यों जरूरी हैं? कावेरी–वैगई–गुंडार संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: नदी-बेसिन और राज्य-सीमा के अंतर से साझा संसाधन की समस्या स्पष्ट करें।

मुख्य भाग में: जल-स्रोत, वर्तमान आवंटन और प्रस्तावित हस्तांतरण अलग करें; सहमति, तुलनीय डेटा, अनुमोदन, पर्यावरणीय प्रवाह तथा प्रभावित समुदायों को जोड़ें। अर्जी को अंतिम आदेश न बताएँ।

निष्कर्ष में: पारदर्शी जल-लेखा, समयबद्ध संवाद और विधिसम्मत समीक्षा से सहयोगी संघवाद का मार्ग सुझाएँ।

स्रोत

- [1] https://www.nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/11%20Chapter-3_Interstate%20Aspects.pdf
- [2] https://www.thehindu.com/news/national/karnataka-moves-supreme-court-to-restrain-tamil-nadu-in-cauverysouth-vellarvaigaigundar-link-project/article71738245.ece
- [3] https://www.deccanherald.com/india/karnataka/cauvery-dispute-karnataka-moves-supreme-court-for-injunction-against-tamil-nadus-cvg-link-project-4228776

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ क्या कर्नाटक की अर्जी ही परियोजना पर न्यायिक रोक है?

नहीं। रोक माँगना और अदालत द्वारा रोक देना अलग बातें हैं। यहाँ ताजा हस्ताक्षरित आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

▼ क्या पुराने NWDA DPR से वर्तमान निर्माण की सभी स्वीकृतियाँ सिद्ध हैं?

नहीं। DPR की अवधारणा, वर्तमान अनुमोदन और वास्तविक निर्माण की स्थिति अलग-अलग जाँचनी होगी।

pcsmantra.com